हम भारत के लोग

संविधान की कल्पना का भारत

पुस्तिका सीरीज़–४४

प्रकाशक :
isd **इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी**
फ्लैट नम्बर–110, नम्बरदार हाउस, 62–ए,
लक्ष्मी मार्केट, मुनिरका, नई दिल्ली–110067
टेलीफोन : 091–26177904, टेलीफैक्स : 091–26177904
ई–मेल : notowar.isd@gmail.com
वेबसाइट : www.isd.net.in

प्रकाशन वर्ष : 2020

केवल सीमित वितरण के लिए

मुद्रण : डिजाइन एण्ड डाइमेन्शंस, एल–5 ए, शेख सराय, फेज–II, नई दिल्ली–110017

हम
भारत के
लोग

संविधान की कल्पना का भारत

यह किताब समर्पित है भारत के तमाम गाँवों और शहरों में बसने वाले
करीब 90 धर्मों का पालन करने वाले 270 भाषायें और बोलियाँ बोलने वाले
सवा अरब से ज़्यादा लोगों को जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि
वे अपने संविधान और उसके मूल्यों की रक्षा करें।

हम ही भारत हैं

भारत हमारा घर, आशियाना है। हम यही रहते हैं। बड़े होते हैं, काम करते हैं, पढ़ते और खेलते हैं। हमें प्यारी हर वो चीज, जगह, या लोग सब यहीं हैं। यही भारत है, जहां हमारे सपने पलते हैं और पूरे होते हैं।

सभी भारतीय एक परिवार हैं। यह हमारा साझा आशियाना है। हम एक-दूसरे का अभिन्न हिस्सा हैं। एक-दूसरे से जुड़े हैं और एक-दूसरे पर निर्भर हैं। हमे एक-दूसरे का ख्याल रखना है और एक-दूसरे को सहयोग करना है।

हम इस आशियाने को मिलकर संवार रहे हैं। हर एक भारतीय बूढ़े या जवान, नामवर या अनजान, धनवान या गरीब, पढ़े-लिखे या निरक्षर भारत का अमूल्य हिस्सा हैं। उनका स्थान कभी कोई और नहीं ले सकता। हम सब किसान, मजदूर, शिक्षक, सैनिक, ड्राईवर, सफाईकर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, दोस्त, पड़ोसी, अभिभावक, लेखक, विचारक, पाठक, शिक्षार्थी, प्रवासी, शरणार्थी, प्रवाचक-उत्प्रेरक के रूप में अपने-अपने विचार व्यवहार और कामों से भारत को बना रहे हैं।

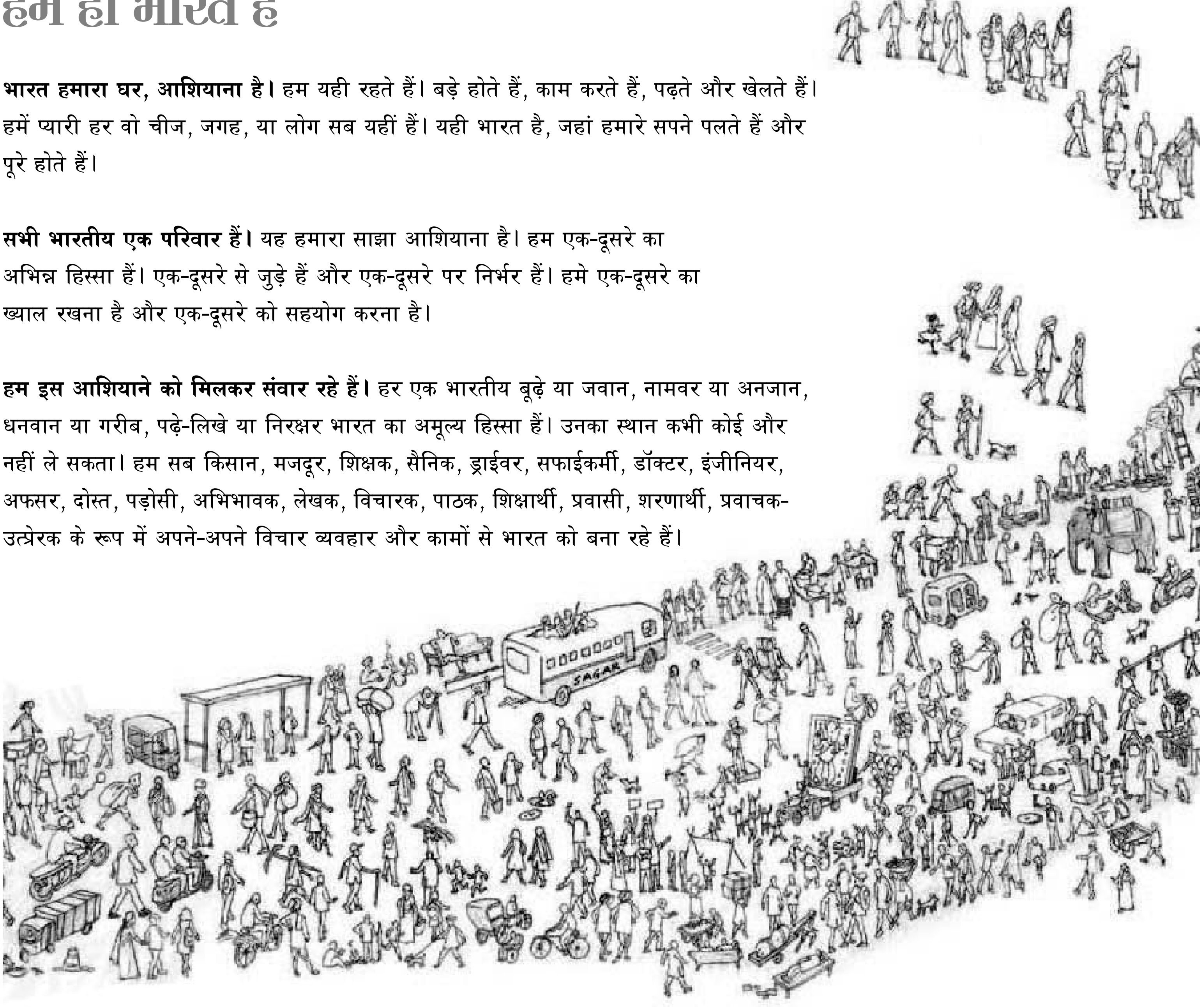

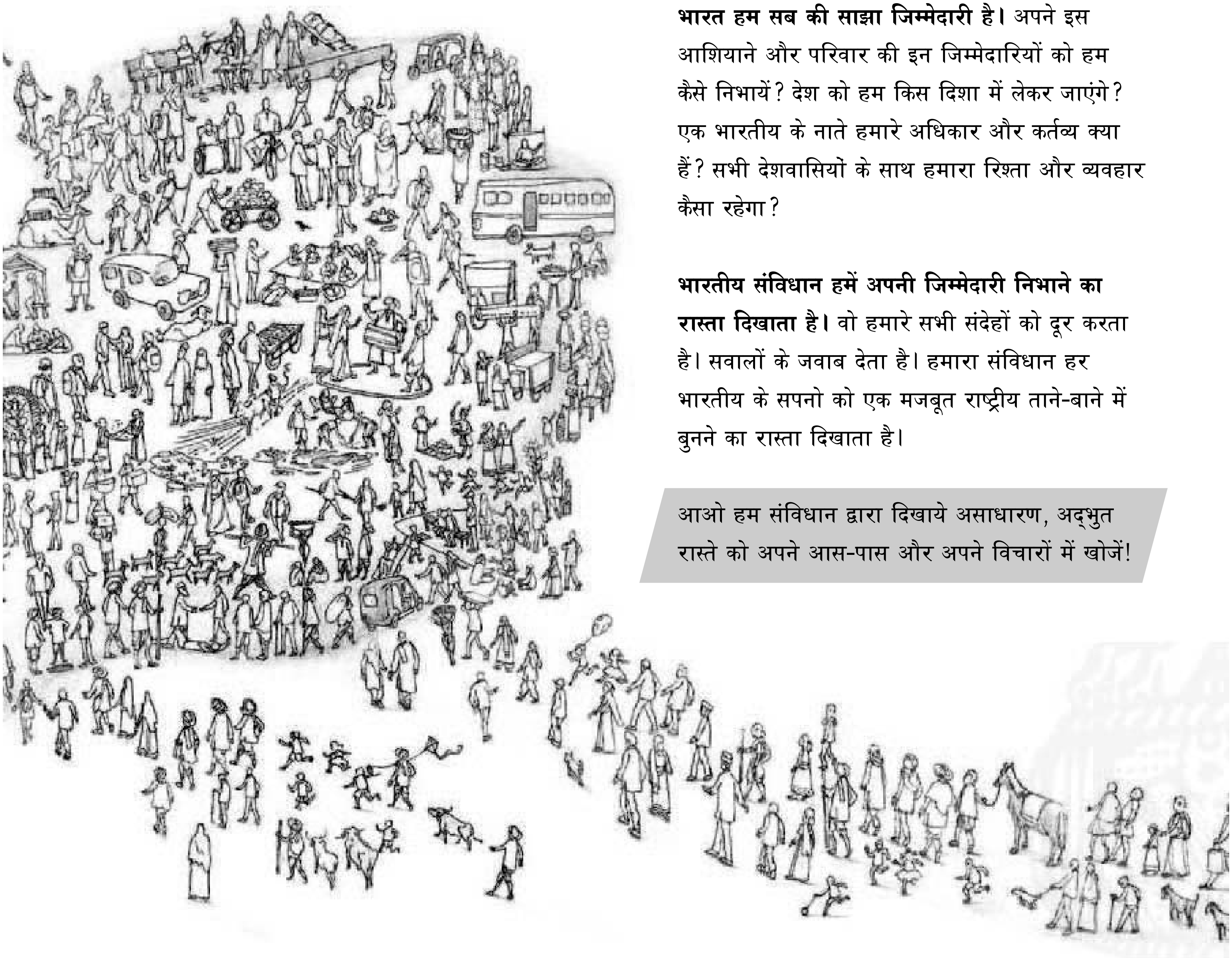

भारत हम सब की साझा जिम्मेदारी है। अपने इस आशियाने और परिवार की इन जिम्मेदारियों को हम कैसे निभायें? देश को हम किस दिशा में लेकर जाएंगे? एक भारतीय के नाते हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या हैं? सभी देशवासियों के साथ हमारा रिश्ता और व्यवहार कैसा रहेगा?

भारतीय संविधान हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने का रास्ता दिखाता है। वो हमारे सभी संदेहों को दूर करता है। सवालों के जवाब देता है। हमारा संविधान हर भारतीय के सपनो को एक मजबूत राष्ट्रीय ताने-बाने में बुनने का रास्ता दिखाता है।

आओ हम संविधान द्वारा दिखाये असाधारण, अद्‌भुत रास्ते को अपने आस-पास और अपने विचारों में खोजें!

स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा

अन्याय के अंधकार के विरूद्ध एक लम्बे अथक संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 की आधी रात को स्वतंत्र भारत का सूर्योदय हुआ। हजारों हजार भारतीय, सैकड़ों नेता स्वतंत्रता संग्राम के भागीदार बने और कुर्बानियां दी। शहादत को स्वीकार किया। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने अतुल्य बलिदान करते हुए भारत के संकटों, समस्याओं की गहराई से पड़ताल की थी। **उनका संग्राम केवल अंग्रेजी हुक्मरानों की दासता के ख़िलाफ़ नहीं था वरन् समाज को जकड़ती हर प्रकार की गुलामी के ख़िलाफ़ था।** संघर्षों के तरीके पर सभी नेताओं के विचार एक न होते हुए भी एक जैसे थे। आज़ाद भारत के सपने को साकार करना।

मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूँगा जहां सबसे गरीब भी यह महसूस करें कि यह उनका अपना देश है, जिसके निर्माण में उसकी प्रभावी भूमिका है।

-महात्मा गांधी

जब तक सामाजिक ढांचे में बुनियादी बदलाव नहीं होगा, तब तक प्रगति से हम कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर सकेंगे। जाति की बुनियाद पर आप कोई निर्माण नहीं कर सकेंगे। आप न तो राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे, न नैतिकता का ही निर्माण कर पायेंगे। जाति की बुनियाद पर खड़े हर निर्माण में दरारें ही होंगी और वह कभी पूर्ण नहीं होगा।

-बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर

भारत की खिदमत का मतलब उन लाखों लोगों की सेवा है, जो वंचित हैं। इसका मतलब है गरीबी, अज्ञान, बीमारी और अवसर की असमानता का अन्त। जब तक आंसू हैं, तकलीफें हैं, तब तक हमारा काम और मकसद अधूरा है।

-पंडित जवाहरलाल नेहरू

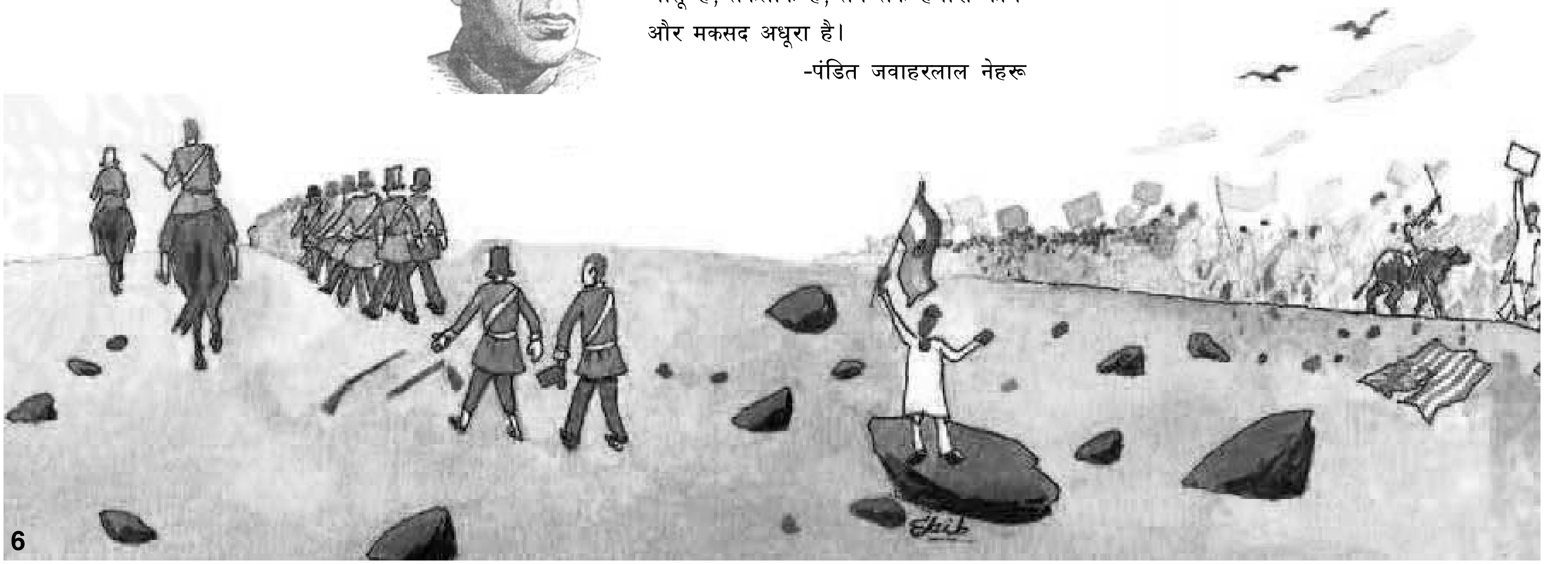

क्रांति का मतलब अन्यायकारी व्यवस्था को खत्म करना है। उत्पादक और मजदूरों का हक शोषक छीन लेते हैं। किसान जो सबके लिए अनाज उपजाता है, खुद भुखमरी का शिकार है। जुलाहे जो विश्व बाजार के लिए कपड़ा मुहैया कराते हैं, उनके अपने पास अपना और अपने बच्चों का तन ढंकने के लिए कपड़े नहीं है। मिस्त्री, लुहार, बढ़ई जो बड़े-बड़े महल बनाते हैं, खुद झोंपड़ियों में वंचितों की तरह गुजर करने को मजबूर हैं।

-भगत सिंह

अपने जीवन भर के काम से विधवा स्त्रियों, वंचितों, दलितों, बच्चों, बीमार एवं अन्य सबकी सेवा और सुरक्षा करते हुए, उनके जीवन ने हमें समाज के तौर पर अपनी विफलताओं से परिचित कराया। महिलाओं और दलितों के बीच शिक्षा के प्रसार के उनके क्रांतिकारी काम ने हमें खुद को सुधारने का मार्ग दिखाया।

-सावित्री बाई फूले

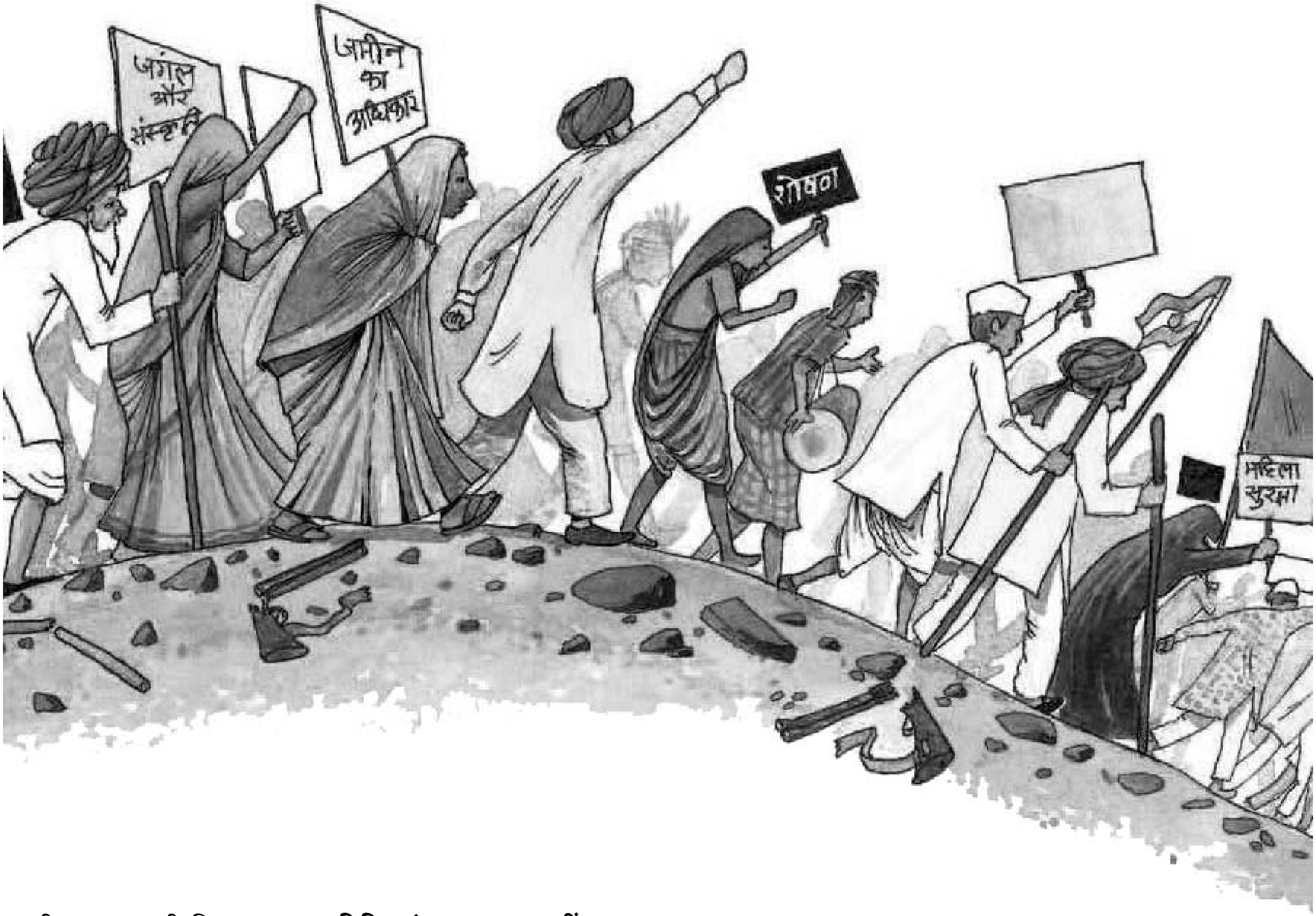

सबकी यह समझ थी कि **भारत महज ब्रिटिश तंत्र का गुलाम नहीं था।**

- हम **गरीबी** के गुलाम थे; जिसने भूखमरी और अशिक्षा को पनपाया। हमें असहाय बनाया।
- हम **भेदभाव** के गुलाम थे, जिसने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, वंचितों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया।
- हम चंद विशिष्ट लोगों के हाथों में सिमटी हुई सत्ता, रूतबा, साधनों के चलते **असमानता** के गुलाम थे।
- हम अदृश्य **तानाशाही** के गुलाम थे, जिसमें अवाम की कोई आवाज नहीं थी।

उन्होंने समझा कि सही मायने में स्वतंत्रता के लिए एक क्रांति की जरूरत है। **एक ऐसी सामाजिक क्रांति** जो हर दमित दलित को सुरक्षित, सशक्त और स्वाधीन बना दे। **ऐसी शांतिपूर्ण क्रांति** जहां आंसू ना हो, गम ना हो, क्रोध और हिंसा ना हो, घृणा ना हो, बस प्यार हो। उसके जरिये बदलाव की आकांक्षा हो। यह हर तबके को समाहित करती **साझी क्रांति** है, जिसको एकजुट राष्ट्र का बल और विवेक मिलता है।

मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप जनता की उपेक्षा है और यही हमारे पतन के कारणों में से एक है। भारत की जनता को एक बार अच्छे तरह से शिक्षित, पोषित और उनकी अच्छी तरह से देखभाल किए जाने तक राजनीति से कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर हम भारत को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो हमें जनता लिए काम करना होगा।

-स्वामी विवेकानंद

विविधता में एकता की स्वीकृति युगों-युगों से भारत का आदर्श वाक्य रहा है। इस सिद्धांत का सार एक व्यापक सहिष्णुता रही है जिसमें मतभेदों को पहचाना जाता है और उनके कारणों को जाना जाता है। भारतीय भलीभांति जानते हैं कि सच्चाई के कई पहलू हैं और घृणा तभी उत्पन्न होती है जब लोग सच्चाई और गुणों पर एकाधिकार का दावा करते हैं।

-मौलाना आज़ाद

शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक, सामाजिक क्रांति के सपने ने संविधान के निर्माताओं को दिशा दिखाई।

संविधान क्या है

संविधान हमारी राष्ट्रीय थाती की किताब है। ऐसी राष्ट्रीय पुस्तक जिसमें ऐसे विचारों, नियमों और संकल्पों को इकट्ठा किया गया है, जो भारत को एक होकर रहने और काम करने का रास्ता बनाता है। **वह भारत का सर्वोच्च कानून है।** संविधान से ऊपर कोई नहीं है।

संविधान महज एक नियमावली नहीं है। वह-

- **एक साझा सपना है।** हमारे सामूहिक समान संकल्पों और विचारों का दस्तावेज है। यह सामूहिक नजरिया हमारा दिशा दाता भी है कि हमें कैसा देश, परिवेश और भविष्य चाहिये।

- **एक साझा वादा।** हमारा संविधान हर भारतीय के गरिमापूर्ण जीवन के लिये अधिकार, सुरक्षा और शक्ति प्रदान करता है। इसके बदले में वह हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का मार्ग दिखाता है।

- **देश का मानचित्र।** संविधान की मंशा है कि भारत का हर कानून संविधान में देश को दिये वादे को पूरा करने वाला हो। कोई भी कानून व्यवहार या आचरण संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। संविधान ने हमें राज्य विधानसभाएं, संसद, कोर्ट, कचहरी, मंत्रिमंडल और सार्वजनिक चुनाव की व्यवस्थाएं दी, उन्हें परिभाषित किया। यह सब देशवासियों की सेवा के लिए ही बनाई गई।

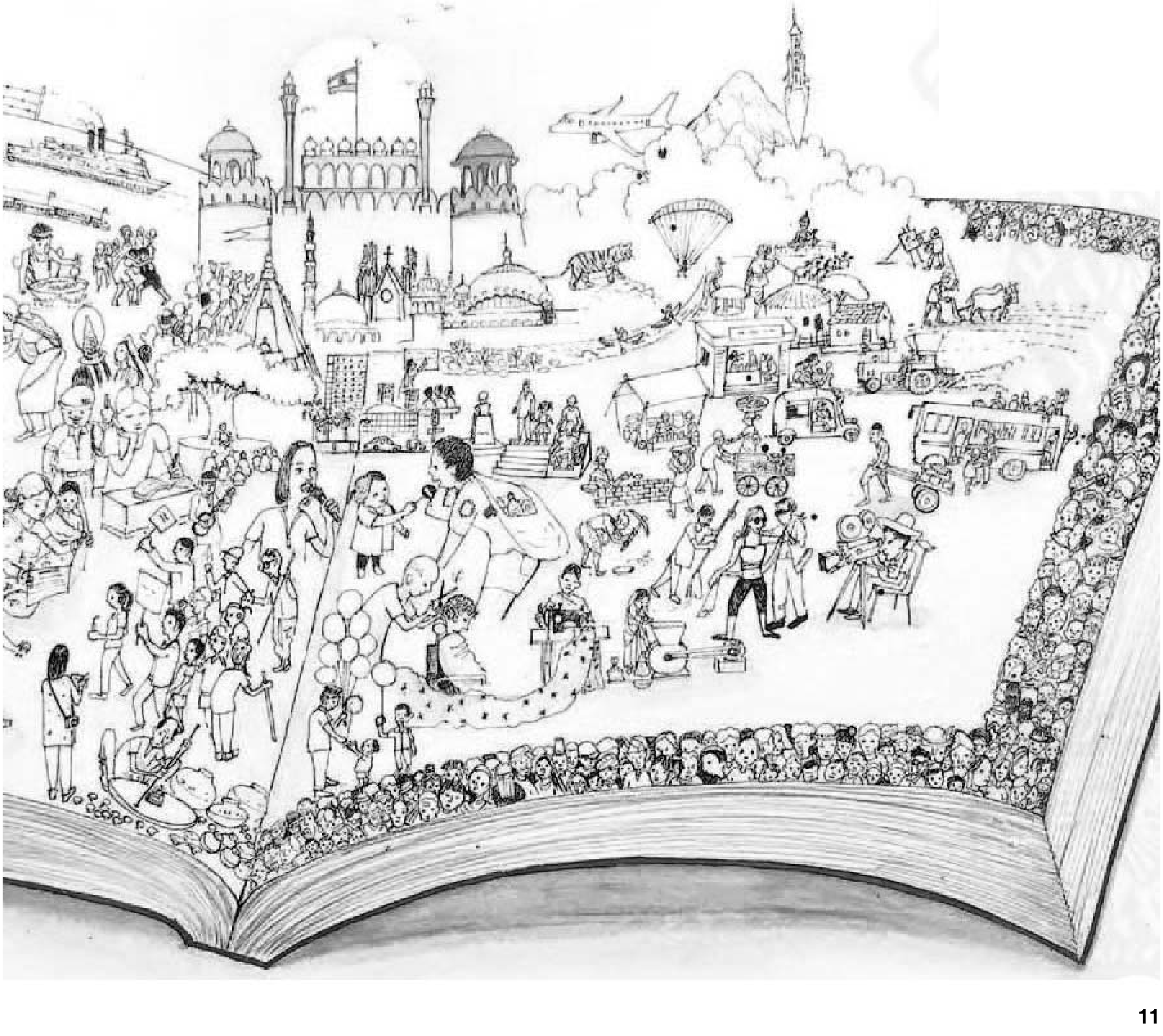

संविधान कैसे बना?

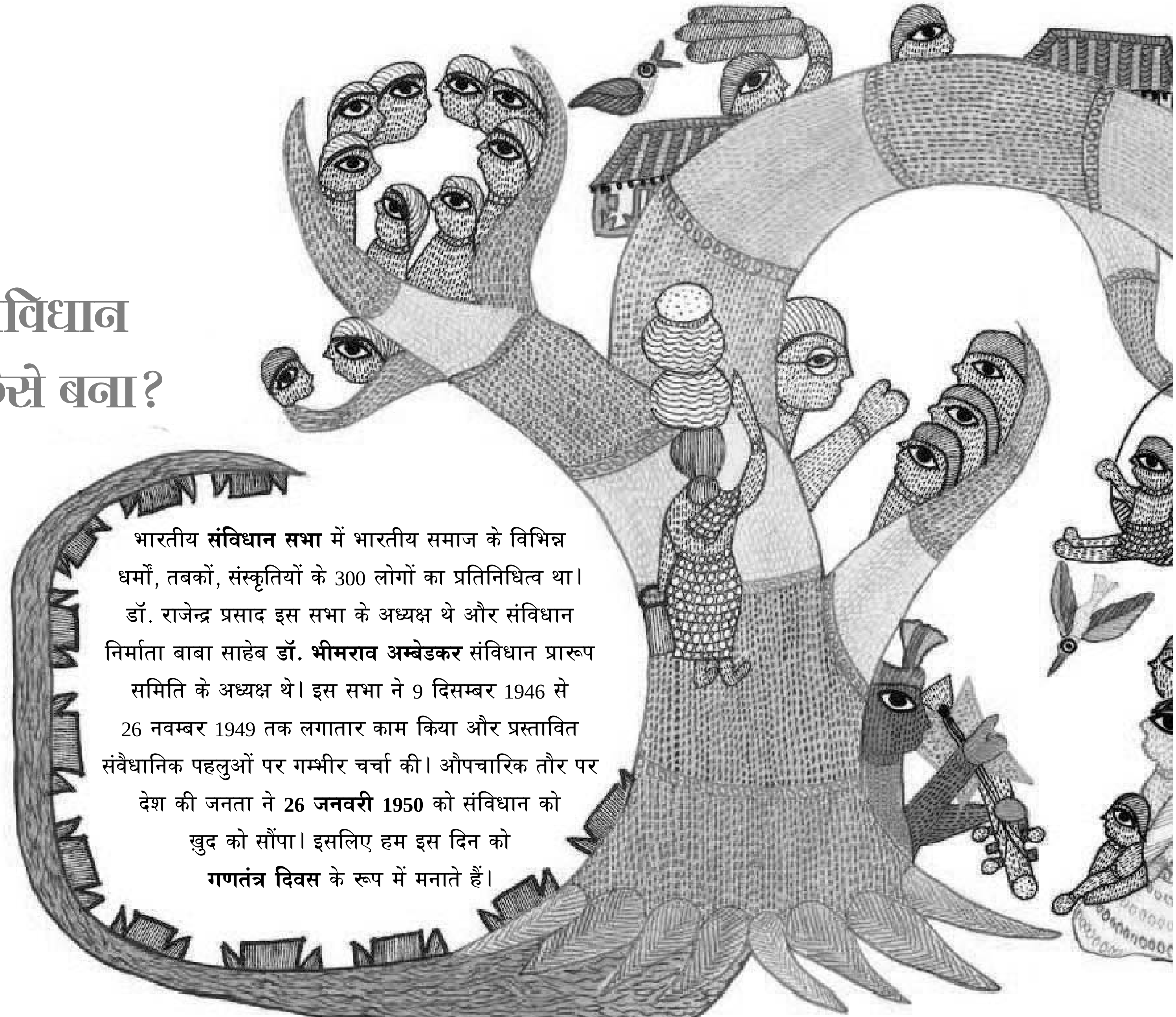

भारतीय **संविधान सभा** में भारतीय समाज के विभिन्न धर्मों, तबकों, संस्कृतियों के 300 लोगों का प्रतिनिधित्व था। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद इस सभा के अध्यक्ष थे और संविधान निर्माता बाबा साहेब **डॉ. भीमराव अम्बेडकर** संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस सभा ने 9 दिसम्बर 1946 से 26 नवम्बर 1949 तक लगातार काम किया और प्रस्तावित संवैधानिक पहलुओं पर गम्भीर चर्चा की। औपचारिक तौर पर देश की जनता ने **26 जनवरी 1950** को संविधान को ख़ुद को सौंपा। इसलिए हम इस दिन को **गणतंत्र दिवस** के रूप में मनाते हैं।

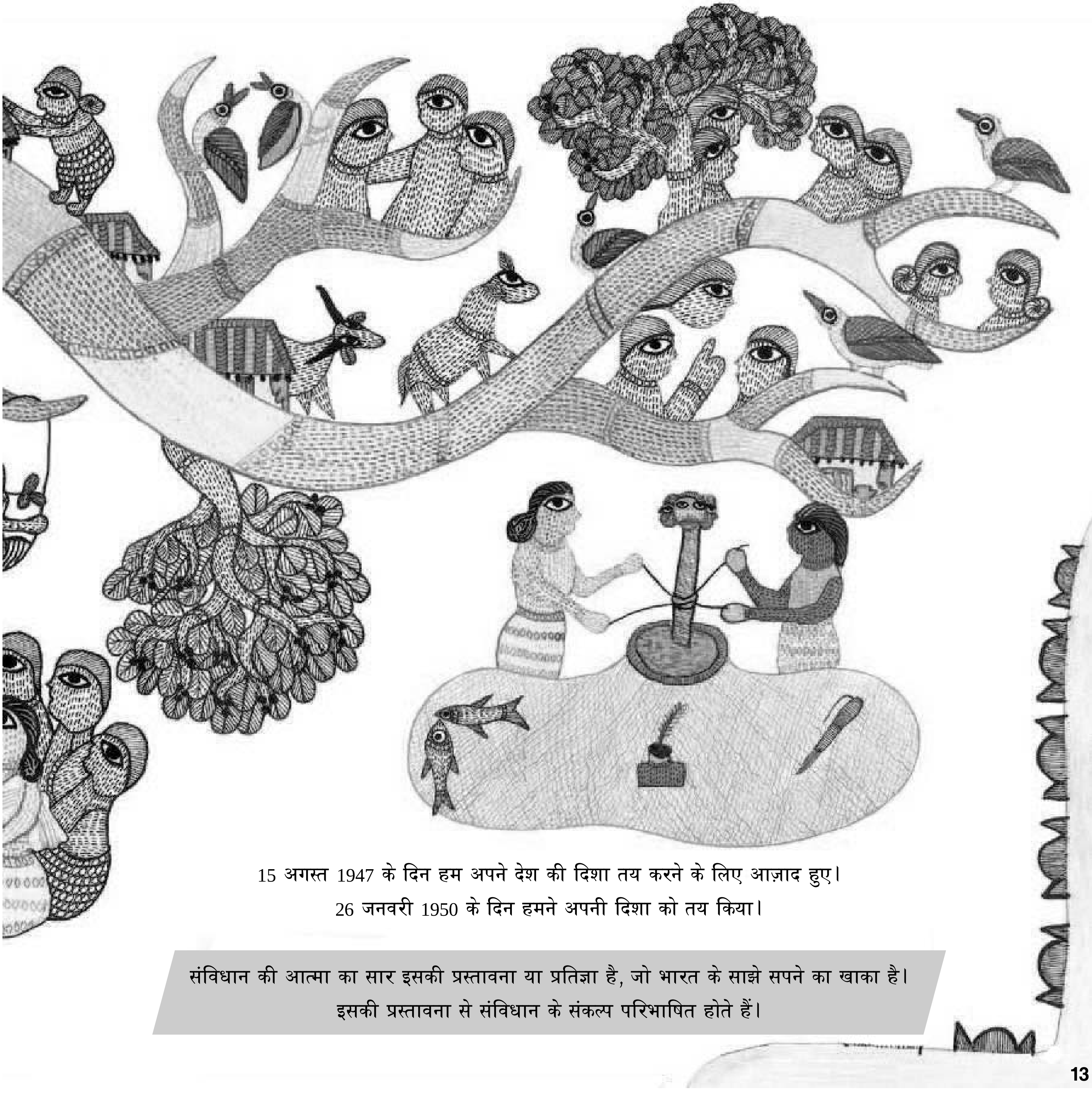

15 अगस्त 1947 के दिन हम अपने देश की दिशा तय करने के लिए आज़ाद हुए।
26 जनवरी 1950 के दिन हमने अपनी दिशा को तय किया।

संविधान की आत्मा का सार इसकी प्रस्तावना या प्रतिज्ञा है, जो भारत के साझे सपने का खाका है।
इसकी प्रस्तावना से संविधान के संकल्प परिभाषित होते हैं।

प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण **प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए, तथा उसके

समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय**;

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता**;

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**, प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सबमें,

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली,

बंधुता बढ़ाने के लिए,

दृढ़ संकल्प होकर **अपनी संविधान सभा** में आज तारीख

26 नवम्बर, 1949 ईस्वी (मिति माघशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को

एतद् द्वारा इस **संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

चलिए प्रस्तावना के विचारों पर मंथन करें।

यह संविधान हम अपने आपको सौंपते हैं। यह हमारे साझे विवेक और साझे अरमानों का नतीजा है। यह किसी से मिला उपहार या अनुदान नहीं है। यह कोई नया रहस्योदघाटन भी नहीं है।

संविधान देश के किसी वर्ग विशेष द्वारा रचा हुआ नहीं है। इसे बनाने में सभी आयु, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा, शिक्षा के लोग शामिल हैं और **यह समान रूप से सबका है।**

हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो...

प्रभुत्व संपन्न

हम खुद अपने भविष्य को बनायेंगे। हम किसी दूसरे देश, धर्म, ताकत या दीगर शक्ति से संचालित नहीं होंगे।

यहां के **लोग ही यहां के एकमात्र मालिक** हैं। सरकार का काम जनसेवा है। उसे जो भी अधिकार मिले हैं, वो जनता ने ही जनता के लिए देश चलाने के लिए उसे मुहैया कराये हैं।

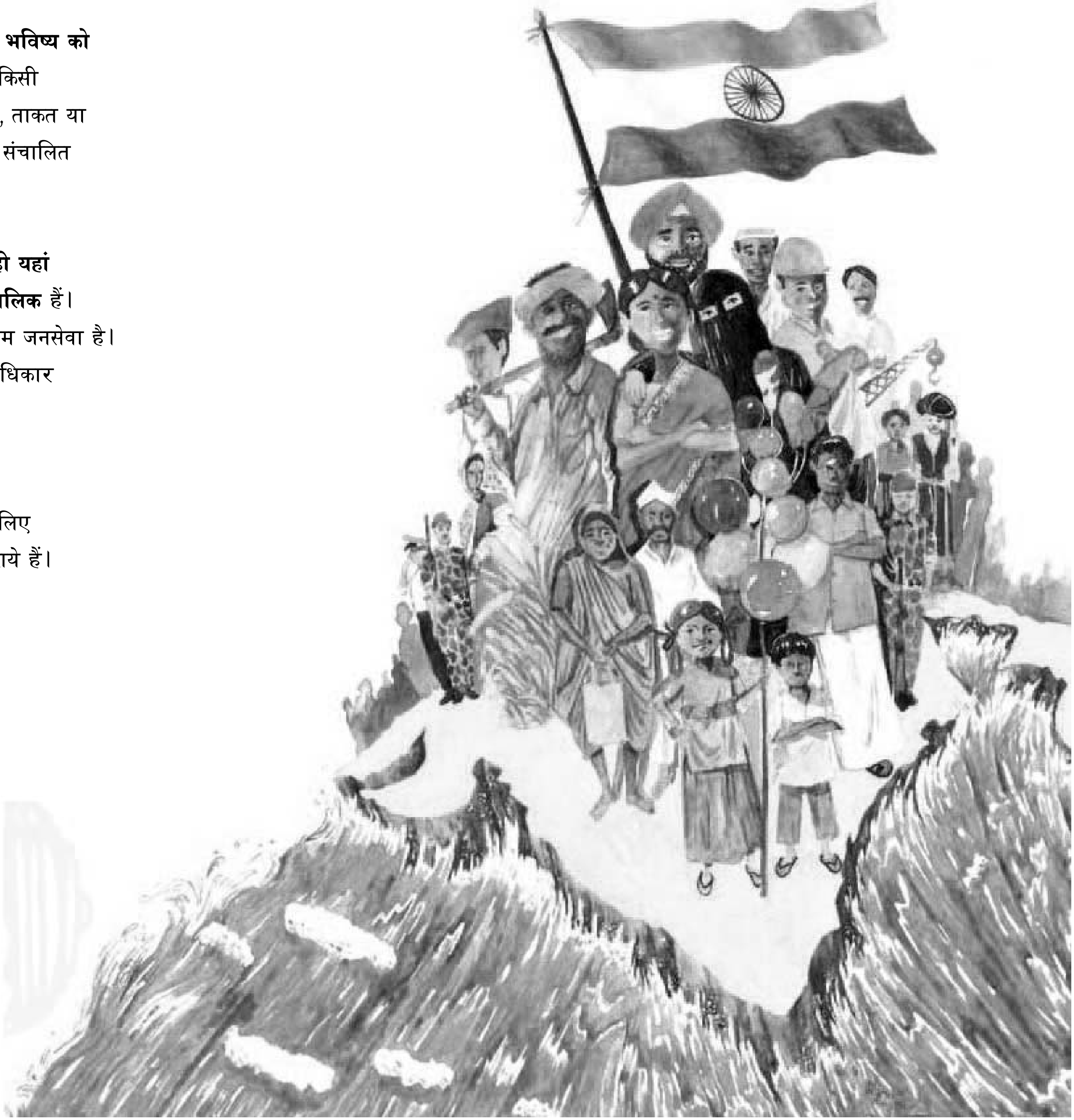

समाजवाद

भारत की संपत्ति सभी भारतीयों की होगी। किन्ही खास चुनिन्दा सुविधा संपन्न या विशेष अधिकार प्राप्त लोगों की नहीं है।

हम इस **साझा संपत्ति के जरिये समाज के सबसे गरीब हाशिये पर खड़े लोगों की भलाई** के लिए काम करेंगे। हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन की बुनियादी जरूरतें हर नागरिक का मौलिक अधिकार होगा।

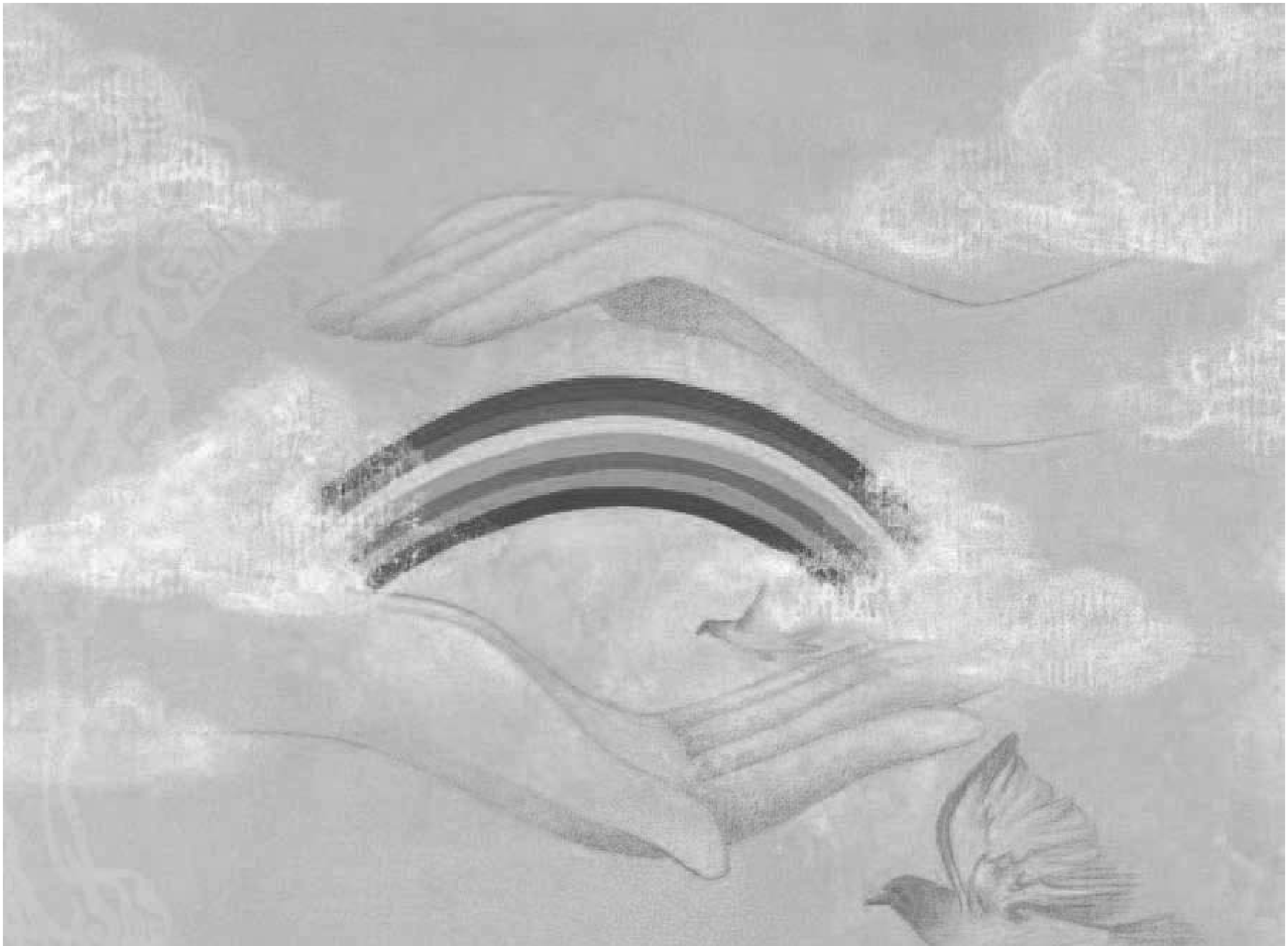

पंथ निरपेक्ष

हर भारतीय **अपनी पसंद का धर्म चुनने को आज़ाद है।** सरकार का कोई अपना घोषित या प्रमुख धर्म नहीं होगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर धार्मिक समूह को भारत में **सुरक्षा और अपनापन महसूस** हो।

हर भारतीय को एहसास हो कि **देश को गढ़ने में उसकी भी आवाज** है, भागीदारी है। सामान्य जन इच्छा ही देश का रास्ता बनायेगी। जनता के प्रति जवाबदेह जनप्रतिनिधि ही निर्णय ले सकेंगे।

हम सब मिलकर इस तरह का काम करेंगे जिससे हरेक को अनुभव हो।

न्याय

हर भारतीय अपने को **अत्याचार, शोषण, भेदभाव, पक्षपात से मुक्त** महसूस करे। अत्याचार के कई कारण और रूप हो सकते हैं। वह कुछ **सामाजिक रीतियों** और **जड़ मान्यताओं** का परिणाम हो सकता है। मसलन, सामाजिक या कुछ जाति मूलक, धर्म से जुड़ा। शोषण **आर्थिक कारणों** से भी हो सकता है। गरीब का शोषण उनकी अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी और लाचारी के कारण हो सकता है। **राजनीतिक कारणों** से भी शोषण हो सकता है। लोग शासन में अपनी हिस्सेदारी के अभाव में बेबस और परतंत्र महसूस कर सकते हैं।

दमन का कारण कोई भी हो, **अन्याय का विरोध करने और उसे ख़त्म करने की हर भारतीय के पास ताकत होनी चाहिये।**

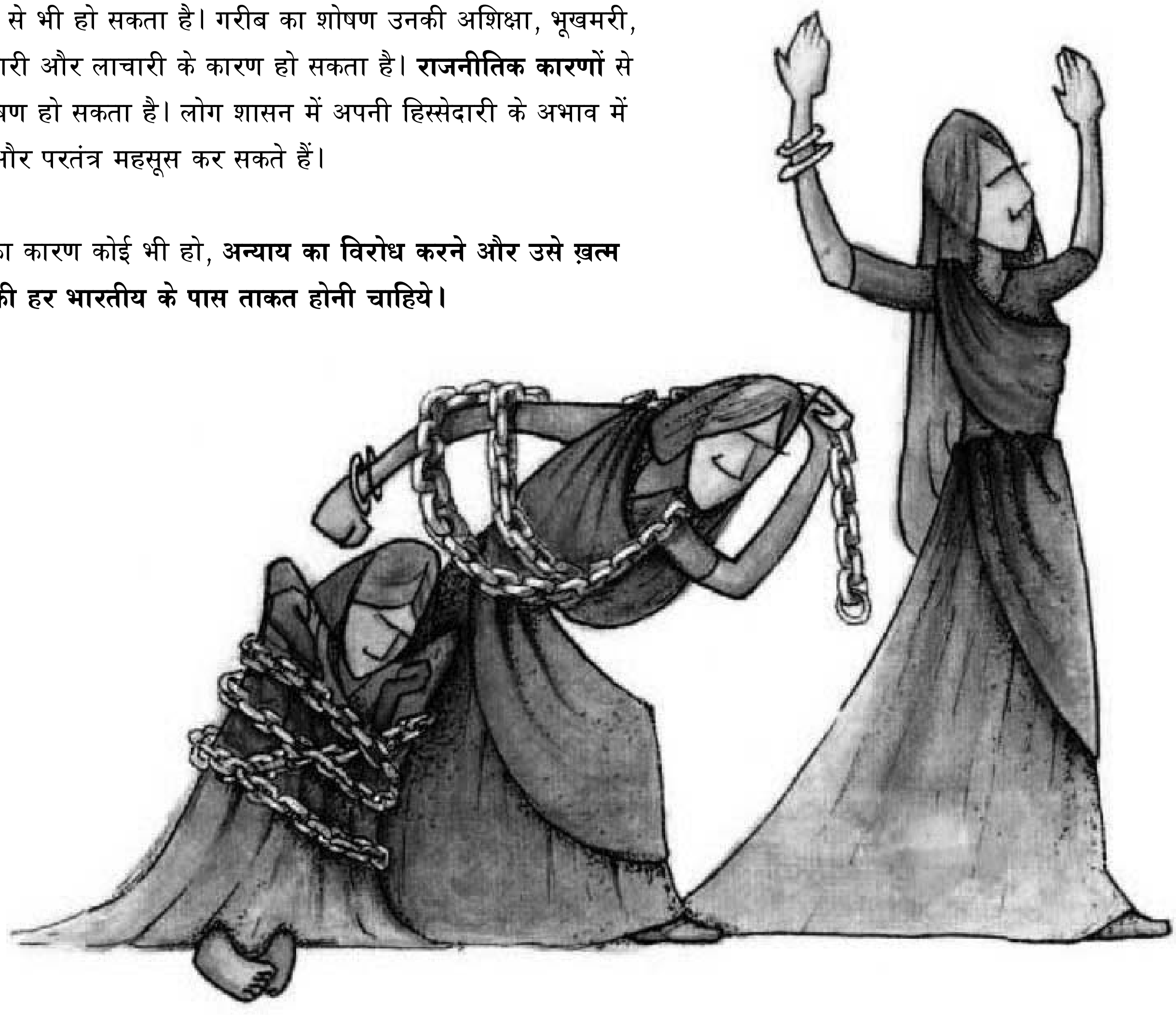

स्वतंत्रता

भारत में हमें अपनी मर्जी का जीवन **जीने की स्वतंत्रता** मिलनी चाहिए। अपनी मर्जी से रहने, सोचने, प्यार करने, उपासना करने, खाने-बोलने और काम करने की स्वतंत्रता। ऐसी स्वतंत्रता जो किसी और को हानि न पहुंचाये। भारत एक विविध वर्गी इन्द्रधनुष है, जिसमें करोड़ों रंग हैं। **हर रंग जुदा है जिसको किसी और से कभी बदला नहीं जा सकता।** भारत के सही अर्थों में स्वतंत्र होने के लिए हर एक रंग को उसके अपने विशेष अंदाज में खिलने देना जरूरी है।

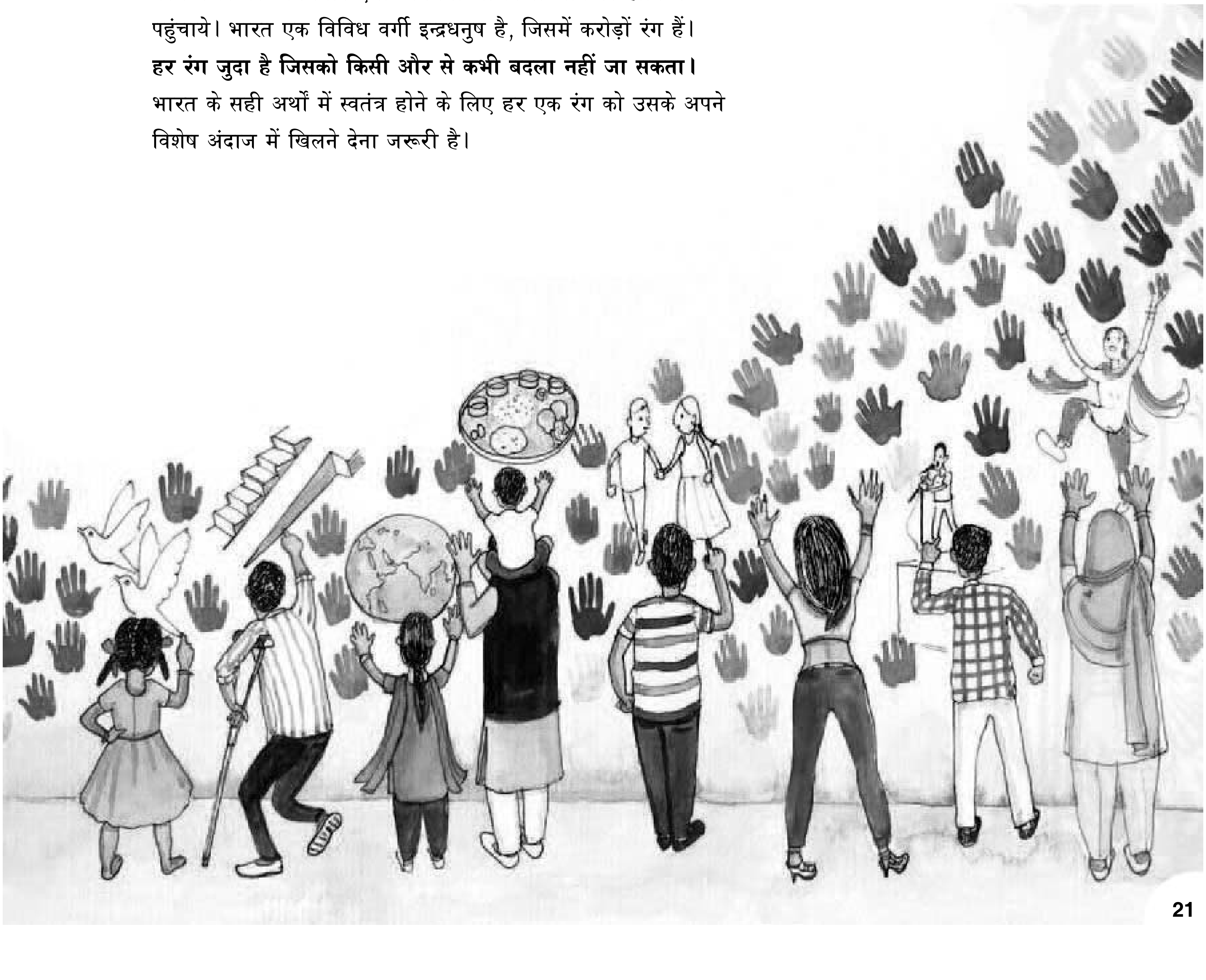

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

अपने **सपने को मनचाहे ढंग से साकार करने का हर भारतीय को अवसर** मिलना चाहिए। वैसे तो हम सब में सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा का फर्क है। हम समान रूप से सक्षम भी नहीं हैं। मगर यह अंतर हमारी नियति को तय नहीं करेगा। हमारा संकल्प है कि हम वंचितों, असहायों की इस तरह सहायता करेंगे कि वे सब अपने को प्रतिष्ठित महसूस करते हुए अपनी जिन्दगी को बेहतर ढंग से जीने के समान अवसर प्राप्त करें।

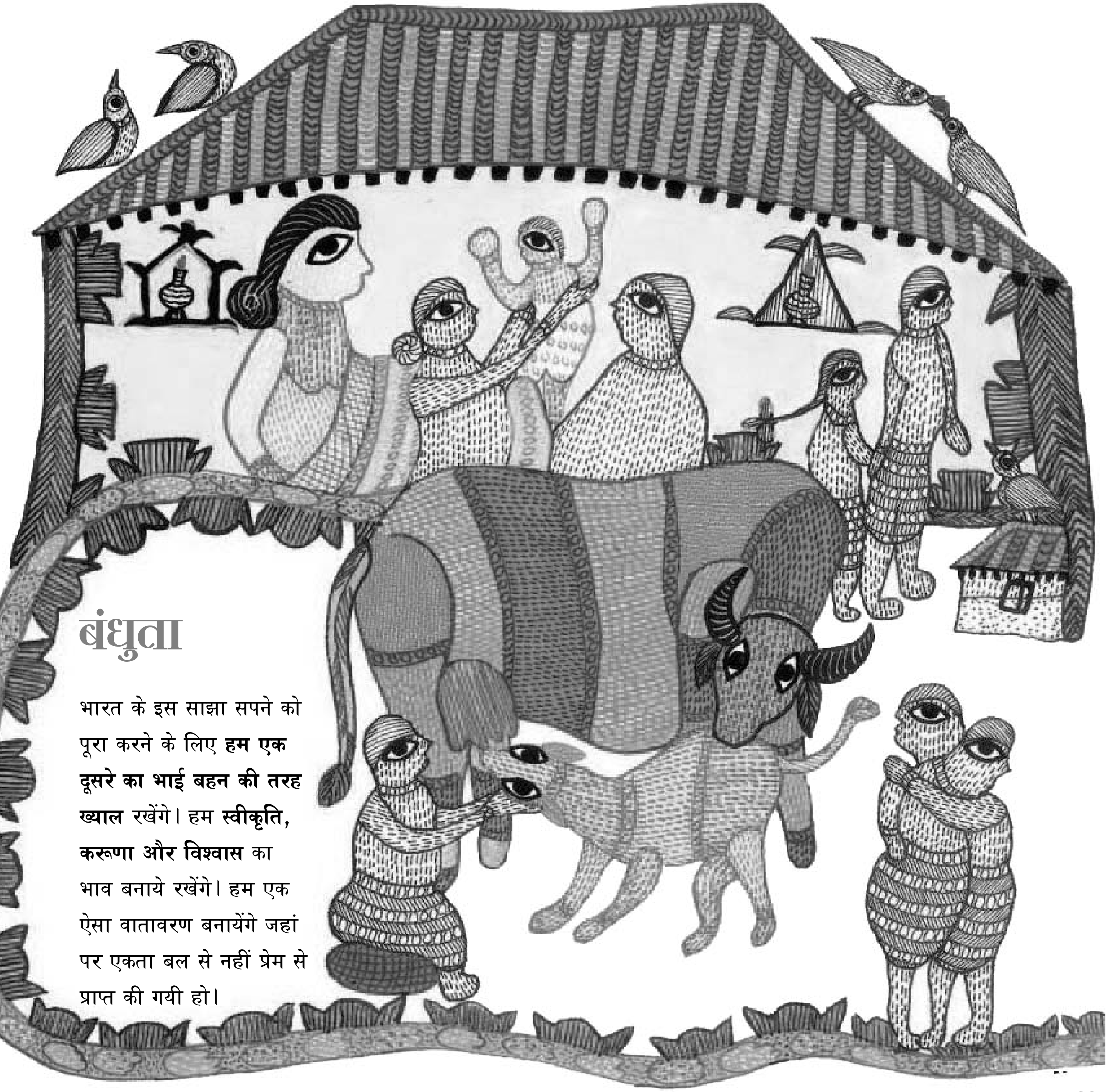

बंधुता

भारत के इस साझा सपने को पूरा करने के लिए **हम एक दूसरे का भाई बहन की तरह ख्याल** रखेंगे। हम **स्वीकृति, करूणा और विश्वास** का भाव बनाये रखेंगे। हम एक ऐसा वातावरण बनायेंगे जहां पर एकता बल से नहीं प्रेम से प्राप्त की गयी हो।

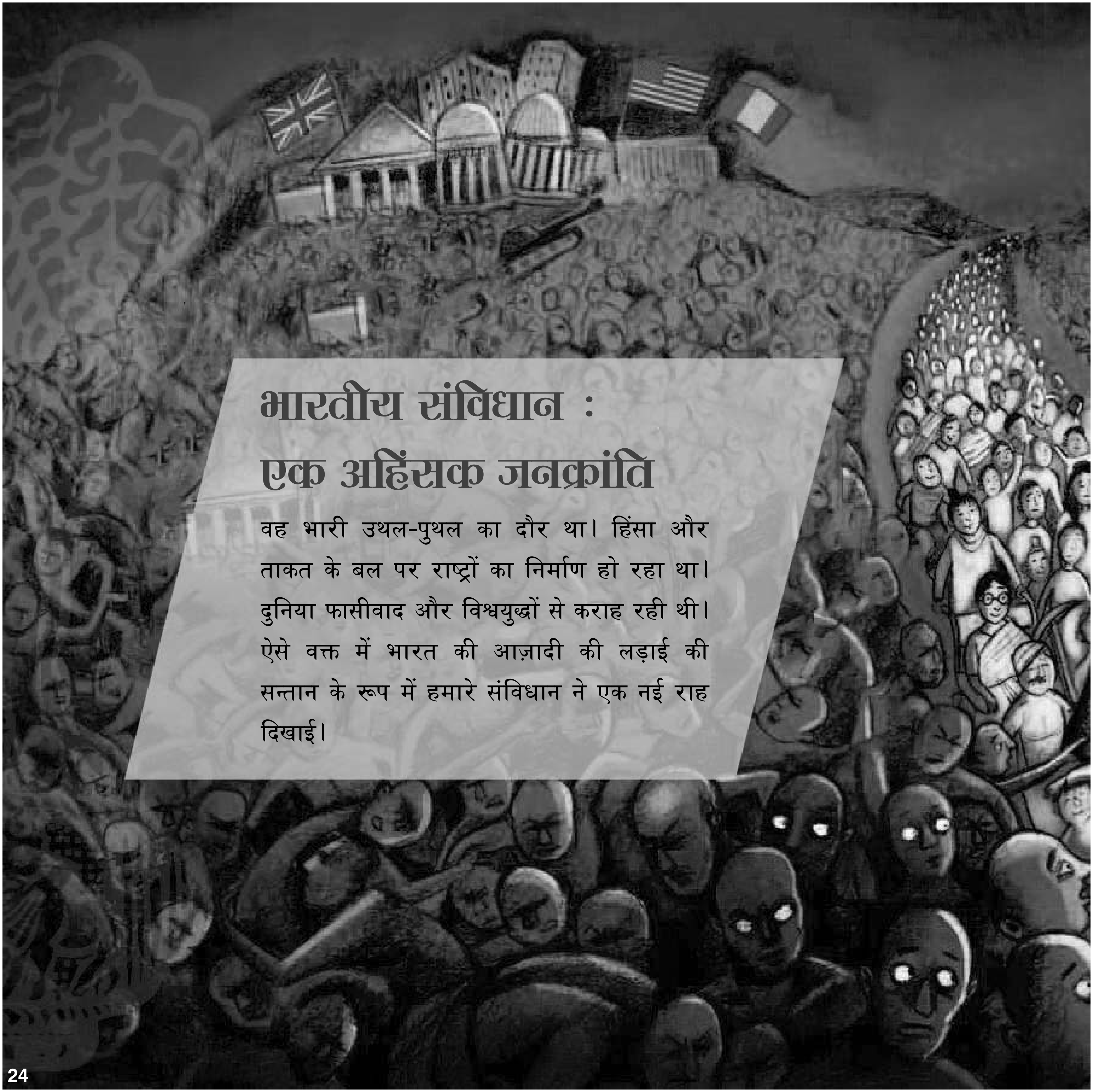

भारतीय संविधान : एक अहिंसक जनक्रांति

वह भारी उथल-पुथल का दौर था। हिंसा और ताकत के बल पर राष्ट्रों का निर्माण हो रहा था। दुनिया फासीवाद और विश्वयुद्धों से कराह रही थी। ऐसे वक्त में भारत की आज़ादी की लड़ाई की सन्तान के रूप में हमारे संविधान ने एक नई राह दिखाई।

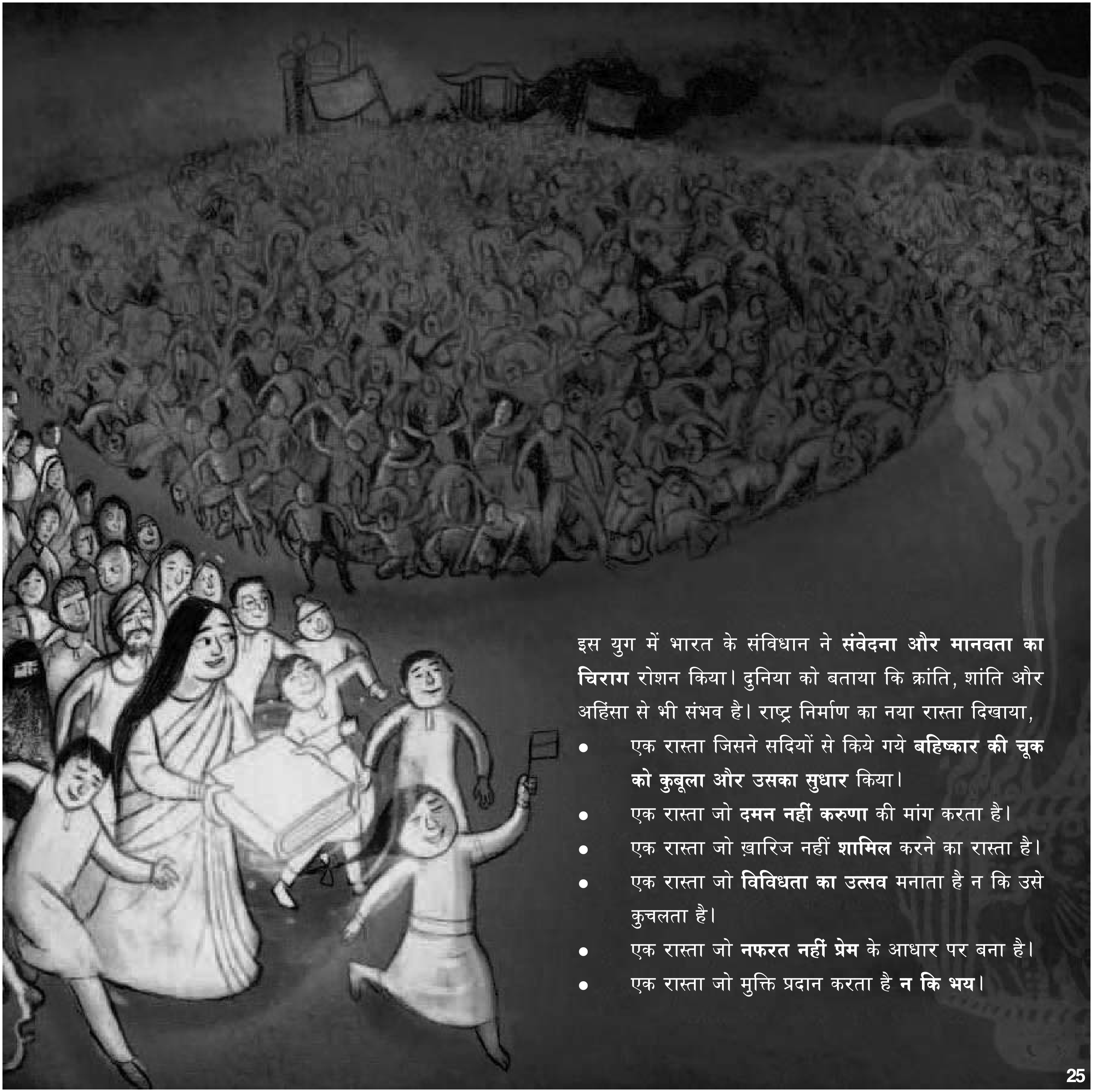

इस युग में भारत के संविधान ने **संवेदना और मानवता का चिराग** रोशन किया। दुनिया को बताया कि क्रांति, शांति और अहिंसा से भी संभव है। राष्ट्र निर्माण का नया रास्ता दिखाया,

- एक रास्ता जिसने सदियों से किये गये **बहिष्कार की चूक को कुबूला और उसका सुधार** किया।
- एक रास्ता जो **दमन नहीं करुणा** की मांग करता है।
- एक रास्ता जो ख़ारिज नहीं **शामिल** करने का रास्ता है।
- एक रास्ता जो **विविधता का उत्सव** मनाता है न कि उसे कुचलता है।
- एक रास्ता जो **नफरत नहीं प्रेम** के आधार पर बना है।
- एक रास्ता जो मुक्ति प्रदान करता है **न कि भय**।

संविधान के रास्ते हमने लम्बा सफर तय किया है

संविधान के रास्ते चलते भारत ने 70 सालों में एक लंबा फासला तय किया है। यह देश के विकास के लिए जरूरी **शांति, स्थायित्व और एकता** की रोशनी लेकर आया। इसने सदियों से **वंचित तबकों को मुख्यधारा** बनाकर देश निर्माण में शामिल किया। इसी ने हमें आज़ाद ख्याल बनाया और हमें **सपने देखने, उन्हें साकार करने** तथा **सृजन की आज़ादी** दी।

मानव विकास

औसत आयु जो 1947 में 32 वर्ष थी आज बढ़कर 70 हो गई है। साक्षरता दर 16% से बढ़कर 74% हो गई। भारत की प्रति व्यक्ति आय 1960 में 1700 से बढ़कर आज 1.14 लाख हो गई। खाद्यान उत्पादन 59.2 मिलियन टन से बढ़कर 253.16 मिलियन टन हो गया।

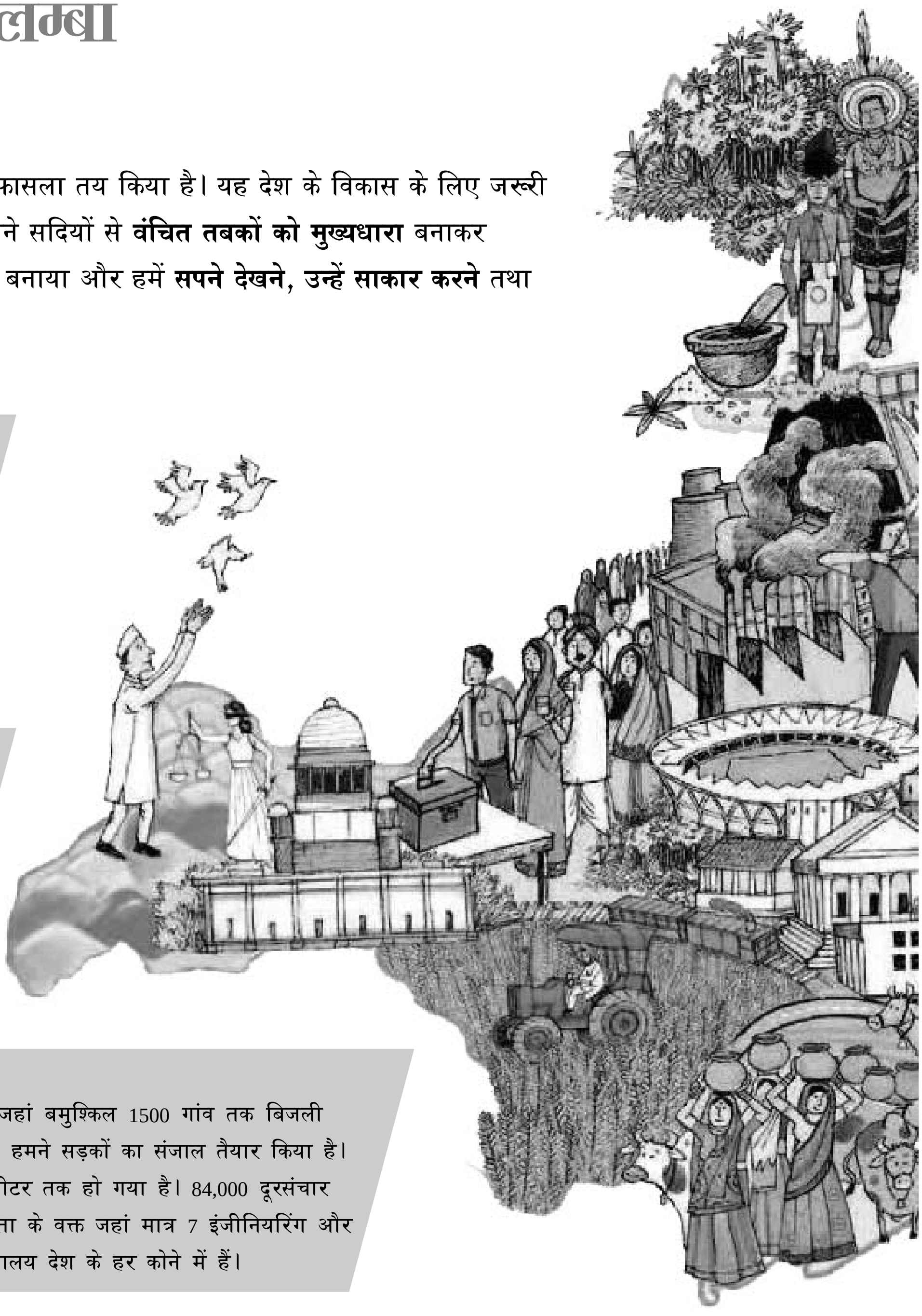

व्यवस्था

हमने प्रशासन, न्याय, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्त व्यवस्था, रक्षा जैसे आधारभूत काम किये जो इस महान देश के संचालन के लिए जरूरी थे। इन सबके लिए सुगम प्रणाली बनाई।

आधारभूत संरचना

हमने अपने राष्ट्रीय सम्पदा की संरचना की है। सन 1947 में जहां बमुश्किल 1500 गांव तक बिजली की पहुंच थी, आज हर गांव तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। हमने सड़कों का संजाल तैयार किया है। 1947 के 4 लाख किलोमीटर से बढ़कर आज 56 लाख किलोमीटर तक हो गया है। 84,000 दूरसंचार के तार, 120 करोड़ मोबाइल और दूरभाष कनेक्शन हैं। स्वतंत्रता के वक्त जहां मात्र 7 इंजीनियरिंग और 10 मेडिकल कॉलेज थे, आज वहां महाविद्यालय और विश्वविद्यालय देश के हर कोने में हैं।

सामाजिक न्याय

संवैधानिक प्रावधानों से हमने छुआछूत को गैर-कानूनी बनाया है। शिक्षा, रोजगार, खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक जानकारी को हर नागरिक का अधिकार बनाया है। वे समुदाय जिन्हें पहले स्कूल की दहलीज लांघने का अधिकार नहीं था, आज उनमें से डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और वैज्ञानिक उभर रहे हैं। सदियों से समाज के हाशिए पर धकेले गये समुदायों के लोग आज राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, उच्च अधिकारी के पदों पर आसीन हैं और सामाजिक नेतृत्व कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के रिवाजों और संस्कृति के संरक्षण के उनके अधिकार को सुरक्षित किया है।

वैश्विक पहचान

भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति है। हम उन चुनिन्दा देशों में शुमार हैं जिन्होंने उपग्रह छोड़े और परमाणु शक्ति संपन्न हुए। हमने विश्व के विकासशील देशों का नेतृत्व गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में किया। हमने जनतंत्र की शमां को जलाये रखा। जबकि हमारे पड़ोसी देश तानाशाही और सैन्य शासन के शिकंजों में जकड़े हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि हमारा देश मानवीय गरिमा, संवेदना, अहिंसा और शांति के आकाशदीप के रूप में जगमग है।

गुलामी से उभरते भारत ने विश्व में अपना स्थान बनाया है। **हमारी उपलब्धियां** किसी **व्यक्ति विशेष** की नहीं हैं **बल्कि संविधान की प्रेरणा से** भारत के लोगों की साझी उपलब्धि है।

हमारा भविष्य

भारत ने लम्बा फासला तय किया है लेकिन मंजिल अभी दूर है।

- बच्चे आज भी भूखे सोते हैं।
- लोग जाति विशेष में पैदा होने के कारण अपमानित और उत्पीड़ित हैं।
- अल्पसंख्यक होने के कारण कुछ धर्मावलम्बी असुरक्षित और डरे सहमे रहते हैं।
- घर, कार्यस्थल और समाज में आज भी महिलाएं भेदभाव की शिकार हैं।
- गरीबी के अभिशाप से असंख्य लोग अपमानित, तिरस्कृत और शोषित जीवन जीने के लिए मजबूर हैं।
- कितने ही लोग भारतीय संविधान द्वारा दिये गये न्याय, स्वतंत्रता, समता की आज तक बाट जोह रहे हैं।

संविधान सभा के अंतिम व्याख्यान में बाबा साहेब ने बेड़ियों से जकड़े लोगों के बारे में चेतावनी दी थी;

"26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। हमारी राजनीति में समानता होगी लेकिन सामाजिक, आर्थिक स्तर पर असमानता रहेगी। राजनीति में एक व्यक्ति-एक वोट के सिद्धांत की मान्यता होगी। लेकिन हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के चलते एक व्यक्ति एवं एक वोट के मूल्य को धता बताते रहेंगे। यदि लम्बे समय तक यह स्थिति रही तो जनता के लिए यह बड़ा खतरा होगा। इस विरोधाभास को यथासंभव जल्दी से जल्दी दूर करना होगा अन्यथा असमानता के शिकार लोग इस राजनीतिक जनतंत्र की संरचना को ध्वस्त कर देंगे।"

-बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर

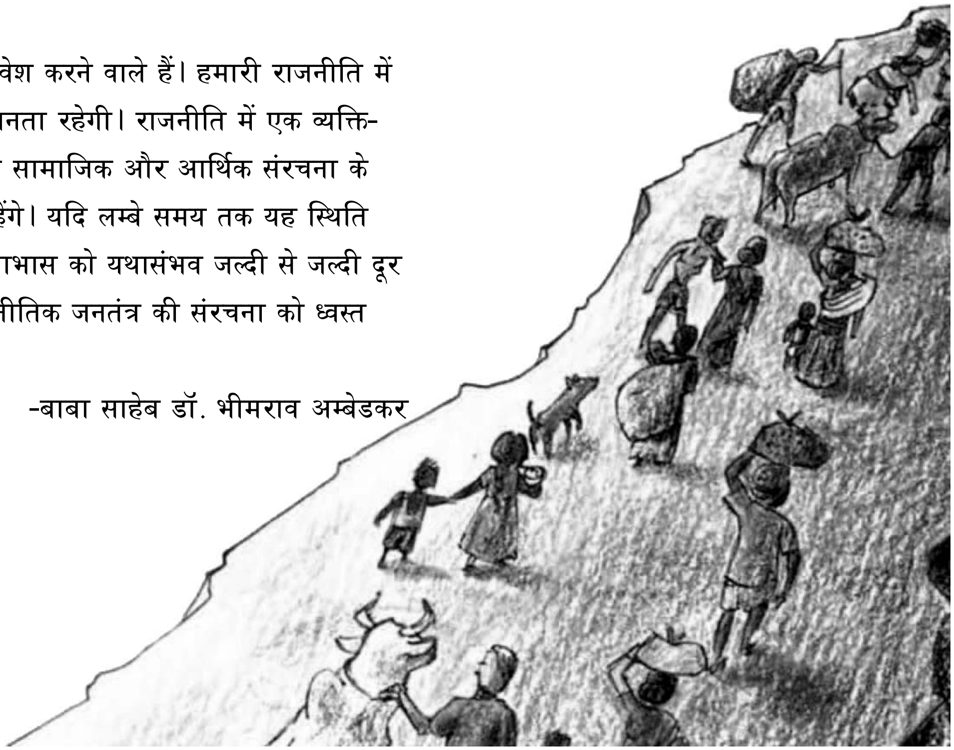

हमारी पिछली पीढ़ी ने अपनी भूमिका निभाई। अब हम **नौजवानों की जिम्मेदारी है कि हम संविधान के सपने को हर भारतीय के जीवन की सच्चाई बनाएं।**

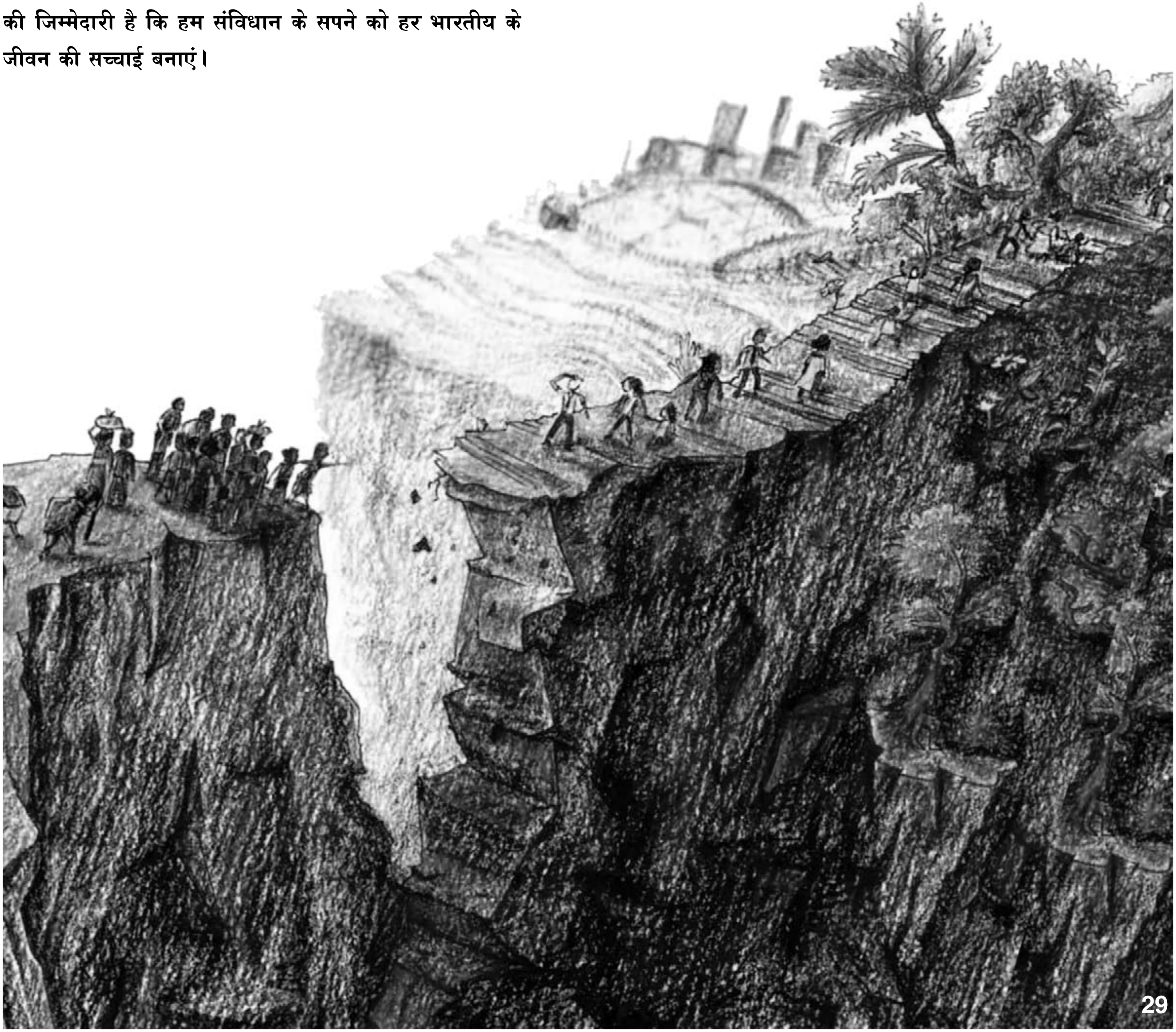

अब हमारी बारी है

हमारा इस देश के लिए संकल्प-

महात्मा गांधी ने हमें सिखाया है कि हर बदलाव कि शुरुआत खुद से होती है। यदि हम भारत को संविधान के रास्ते पर रखना चाहते हैं तो पहला जरूरी कदम यह होगा कि हम संवैधानिक मूल्यों को खुद अपनायें।

हम खुद से और देशवासियों से यह प्रतिज्ञा करते हैं कि-

हम भय से नहीं प्रेम से काम करेंगे

- हम दूसरे लोगों को आनंद और आज़ादी दिलाने में गर्व और खुशी महसूस करेंगे न कि उन पर अधिकार जता कर खुश होंगे।
- हम अपनी भिन्नताओं का जश्न मनाएंगे और उससे अपनी आपसी समझ बढ़ायेंगे न कि उन पर भयवश हमला करेंगे।
- हम सबको अपना परिवार मानेंगे। प्यार, स्वीकृति और धैर्य से सबको अपनायेंगे।

हम हर व्यक्ति की गरिमा की कद्र करेंगे। उसके पक्ष में खड़े होंगे।

- हम कभी किसी व्यक्ति को ऊँच-नीच की नजर से नहीं देखेंगे।
- धन, धर्म, आस्था, जाति, लिंग, भाषा, शिक्षा, व्यवस्था, शारीरिक बनावट या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे।
- दूसरों की निंदा, अवमानना के बजाय उन्हें बिना शर्त समझेंगे, अपनाएंगे।
- हम अभिव्यक्ति के अधिकार को बनाये रखेंगे। चाहे हम उनसे कितने भी असहमत क्यों न हों।

अपने विशेषाधिकारों के प्रति सजग होंगे।

हमारे विशेषाधिकार के मूल में हमारा प्रभुत्व संपन्न धर्म, जाति या लिंग हो सकता है। यह अधिक संपन्नता और शिक्षा के कारण भी हो सकता है। विशेषाधिकारों के कारण जो हों, हमें-

- कभी अपनी विशेष स्थिति का इस्तेमाल दूसरों को दबाने में नहीं करेंगे।
- आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि और संख्या में जो लोग कमजोर हैं, उनको सुरक्षा देंगे।
- हम अपने विशेषाधिकार का उपयोग समतामूलक समाज बनाने के लिए करेंगे।

हम बिना भय, क्रोध और हिंसा के अन्याय का प्रतिरोध करेंगे।

- हम इस विश्वास पर अडिग रहेंगे कि स्वतंत्रता हमारा अधिकार है और यह कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि अत्याचार सहना हमारी नियति है।
- संविधान के आदर्शों से ताकत पाकर संवैधानिक मार्ग से सामाजिक बदलाव के लिए सचेत रहेंगे।
- समाज में फैले धर्म, श्रेणी, लिंग, जाति आदि कारणों से उत्पन्न सामाजिक विकारों और अन्याय को दुरूस्त करेंगे।

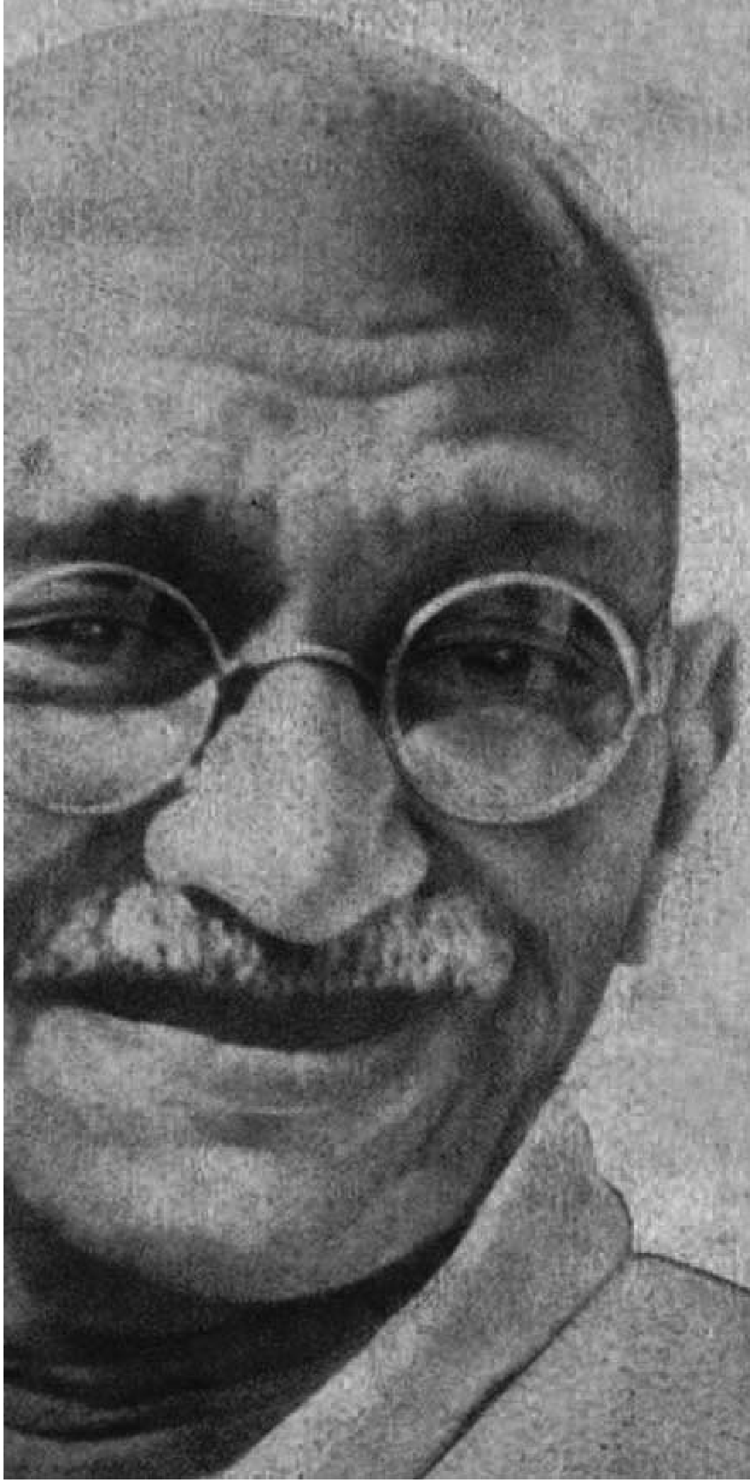

महात्मा गांधी के संविधान रचयिताओं को दिए गए सुंदर जन्तर ने सरलता से हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया

"तुम्हें एक जन्तर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो या जब तुम्हारा अहम् हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ,

जो सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस व्यक्ति के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा सन्देह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है।

जब हम इस प्रतिज्ञा की लौ को अपने भीतर जलाएंगे तब हम सही मायने में संविधान का पालन कर सकेंगे और भारत को सारे जहां से अच्छा बना सकेंगे।

भारत के लिए आपका सपना

भारत की ही तरह यह किताब भी एक साझा प्रयास है।

वे कुछ लोग जिन्होंने मिलकर इस किताब को बनाया, संवारा और लिखा

अरुणिम प्रकाश, अतानु रॉय, बिरेंदर नेगी, दीपक चन्द्रा, देवेन्द्र सोनी, दुर्गा बाई, हबीब अली, जय कृष्णा पाल्या, करुन्या बास्कर, खुशबू गर्ग, किरण मुगाबासव, लक्ष्य चौधरी, महेंद्र दुबे, मीनाक्षी नटराजन, निखिल माथुर, निलेश गहलोत, पाणिनि आनंद, प्रशांत पाठक नीलू, अहिंसा के रास्ते शिविर के सहभागी, प्रिया कुरियन, आर एस बाली, राजेश जोशी, राजकुमार कटारिया, राम प्रकाश त्रिपाठी, सचिन नाईक, सचिन राव, सागर अरंकल्ले, शशि सबलोक, शीतल सोनी, शिवी चौहान, सुनील पंवार, सनी मलिक, सूरज हेगड़े, सुशील शुक्ल, वर्षा अय्यर, वेलु शंकर, वीरमा राम।

जहाँ मन भय से मुक्त हो

जहाँ मन भय से मुक्त हो और मस्तक
सम्मान से उठा हो।

जहाँ ज्ञान स्वतन्त्र हो। जहाँ
संसार संकीर्ण घरेलू दीवारों से
टुकड़ों में ना तोड़ा गया हो।

जहाँ विचार सच्चाई की गहराई से
उपजतें हों।

जहाँ अथक प्रयास अपनी बाहें पूर्णता
की ओर बढातें हो।

जहाँ विवेक की निर्मल धारा अन्ध-विश्वासों
के मरुस्थल की नकारात्मक रेत में ना खो
गयी हो।

जहाँ मन आपसे प्रेरित हो कर
निरन्तर-प्रगतिशील विचारों और कर्मठता
की ओर बढता हो।

उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में, हे परमपिता !
मेरे देश को जागृत कर दे।

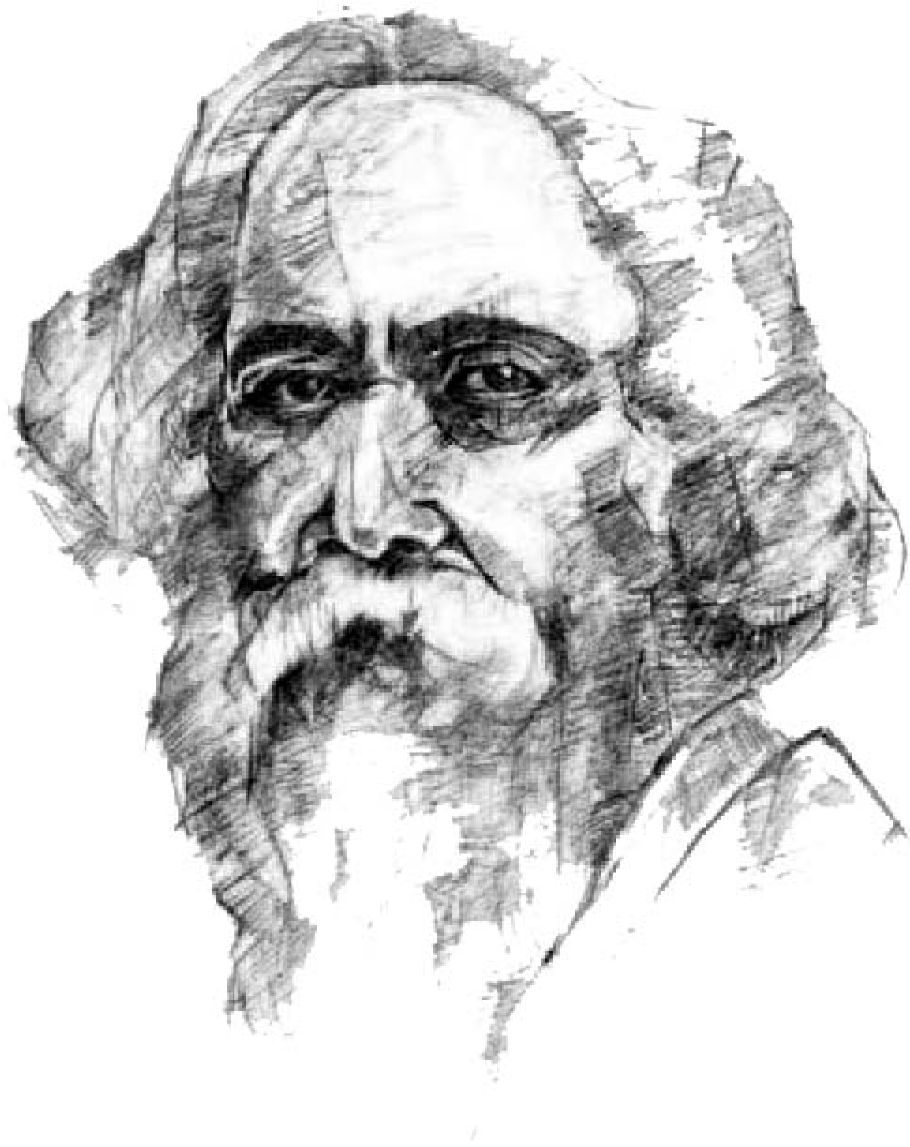

-रवीन्द्रनाथ टैगोर